निग - 1228-I-16

(78)

न्यायालय पीठासीन न्यायाधीश राजस्व मण्डल ग्वालियर संभाग ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक .... /2016

पुनरीकक्षणकर्ता/आवेदक – श्री शेखर कोल उम्र .... वर्ष पिता स्व. हरी सिंह कोल
निवासी– 91, ग्राम पड़रिया तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)
ID No. ....

विरुद्ध

उत्तरवादी/अनावेदक – (1) श्री संदीप कोहले उम्र 44 वर्ष पिता श्री सतीश नागाराव कोहले
निवासी– 384, शक्ति नगर, जबलपुर (म.प्र.)
ID No. KRW3031770
(2) श्रीमती अलका महावर उम्र 26 वर्ष पति श्री आशीष महावर
निवासी– 298, सालीबाड़ा तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)
Adhar No. 2298 4317 8116
(3) मध्यप्रदेश शासन

श्री ...... द्वारा आज 20.4.16 को प्रस्तुत
20.4.16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

20/4/16

रिविजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक निम्नलिखित निवेदन करता है कि :–

आवेदक द्वारा प्रस्तुत रिविजन राजस्व प्रकरण क्रमांक 191/अ–21/2012–13 एवं प्रकरण क्रमांक 86/अ–21/14–15 शेखर कोल विरुद्ध श्री संदीप कोहले एवं श्रीमती अलका महावर ने माननीय कलेक्टर महोदय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2015 से व्यथित होकर वर्णित तथ्यों एवं ग्राउंड के आधार पर प्रस्तुत की गई है।

रिविजन के तथ्य

1. यह कि रिविजनकर्ता आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है तथा ग्राम टिकरिया नं.बं. 254 प.ह.नं. 49 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर जिसका खसरा नंबर 130, 134, 137 रकबा क्रमशः 0.130 हैक्टे., 1.88 हैक्टे., 0.220 हैक्टे., इस प्रकार कुल रकबा 2.230 हैक्टे. एवं ग्राम खुरसी प.ह.नं. 61 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर जिसका खसरा नंबर 280/1 रकबा 0.130 हैक्टे, खसरा नं. 282 रकबा 0.750 हैक्टे. ग्राम खिन्हा प.ह.नं. 32 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 405/1 रकबा 1.320 हैक्टे., ग्राम इमलई प.ह.नं. 4/9 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 303 रकबा 1.650 हैक्टे., खसरा नं. 301 रकबा 1.26 हैक्टे., खसरा नं. 310 रकबा 1.320 हैक्टे., ग्राम इन्द्रा प.ह.नं. 54/56 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 248 रकबा 0.410 हैक्टे. इस प्रकार कुल रकबा 6.840 हैक्टे. भूमि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1228/एक/2016 जिला–जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20.4.16	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 86/अ–21/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी है, कि उसके स्वामित्व की भूमि ग्राम धरहर नं.ब.227 प.ह.न.35 रा.नि.म. पनागर, तहसील पनागर, जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं.2 रकवा 0.900 है0, खसरा नं.3 रकवा 1.300 है0, खसरा नं.8 रकवा 0.500 है., खसरा नं.16 रकवा 0.490 है0, खसरा नं.27 रकवा 0.720 है0, खसरा नं.56/2 रकवा 0.130 है0, खसरा नं.90/1 रकवा 1.530 है0, खसरा नं.112 रकवा 0.200 है0, खसरा नं.125/1 रकवा 0.82 है0 इस प्रकार कुल रकवा 6.590 है0 इस प्रकार कुल रकवा 16.475	

एकड़ असिंचित/सिंचित भूमि मालिक काबिज भूमि स्वामी हूँ तथा शासकीय अभिलेखों में उपरोक्त भूमि आवेदक के नाम दर्ज है। जिसे अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 को विक्रय करना चाहता है। इस संबंध में विक्रय अनुबंध पत्र किया गया है। इस भूमि को विक्रय करने के बाद आवेदक भूमिहीन नहीं होगा क्योंकि उसके पास 2.680 हैक्टेयर भूमि शेष बचेगी। इसलिये आवेदक को भूमि विक्रय करने की अनुमति दी जाये। कलेक्टर जिला जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 282/अ-21/2013-14 पंजीबद्ध कर आवेदक के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की जाँच अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जबलपुर से करायी। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर, जबलपुर ने आवेदक के प्रकरण में आदेश दिनांक 04.04.2016 पारित कर आवेदक का विक्रय अनुमति आवेदन खारिज कर दिया गया। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर जबलपुर ने दिनांक 04.04.2016 को

आवेदन पत्र पर संदेहास्पद मानकर खारिज किया है। जबकि कलेक्टर, जबलपुर को आवेदन पत्र पद सद्भाविक विचार कर आदेश पारित करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में आवेदक का विक्रय अनुमति आवेदन जाँच प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी विक्रय अनुमति नहीं दी गयी है। अतः विचाराधीन निगरानी प्रस्तुत कर विक्रय अनुमति दिये जाने का निवेदन किया गया। अनावेदक क्रमांक 3 के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये कलेक्टर के आदेश को यथावत रखने की प्रार्थना की।

5- उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्कानुक्रम में देखना है कि क्या कलेक्टर जबलपुर ने आदेश दिनांक 04.04.2016 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है। प्रकरण जब तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ जाँच हेतु गया एवं जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद वापिस आया। तब ऐसी स्थिति में विक्रय अनुमति दी जानी चाहिए थी, ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 04.04.2016 निरस्त किये जाने योग्य है।

6- आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार आवेदक अपनी शेष कास्तकारी भूमि की उन्नति एवं बच्चों की उचित शिक्षा एवं स्वतः की पारिवारिक आवश्यकतों की पूर्ति हेतु भूमि विक्रय अनुमति पर शीघ्र विचार

होना बताया गया। प्रकरण में देखना है कि आवेदक वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं :-

1- पटवारी हल्का ने आवेदक के विक्रय अनुमति आवेदन पत्र की जॉच कर अपना प्रतिवेदन में बताया है कि यदि वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति उपरान्त भूमि विक्रय होती है, इसके बाद आवेदक के पास कुल रकवा 0.33 हैक्टेयर भूमि शेष बचेगी। तात्पर्य यह है कि आवेदक भूमिहीन नहीं होगा उसके पास जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि है।

2- प्रतिवेदन में बताया गया है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जाने वाली भूमि स्व-अर्जित भूमि है। अर्थात शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है।

3- पटवारी हल्का ने प्रतिवेदन में यह बताया है कि भूमि असिंचित है। इस प्रकार आवेदक की भूमि घाटे की कृषि भूमि है।

4- आवेदक अभिभाषक के तर्को के अनुसार आवेदित भूमि स्वामी हक में दर्ज है एवं आवेदक की भूमि पट्टे की भूमि नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि आवेदक भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वंय द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है ऐसा भूमि स्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है

क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टेधारी पट्टे की शर्तो का पालन करते हुये दस वर्ष व्यतीत होने पर भूमि स्वामी बन जाता है जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

5- प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर स्व-अर्जित है। आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है संहिता की धारा 165 (7-ख) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमि स्वामी बिना सक्षम अनुमति के भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदक ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है आवेदक ने भूमि विक्रय करने का अनुबंध शासकीय गाईड लाईन के माध्यम से निर्धारित दर पर अनावेदक क्रमांक 1 के साथ किया है जो शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के मान से विक्रय मूल्य देने को तैयार है परिणामतः आवेदक को स्वअर्जित एवं भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नजर नहीं आती किन्तु कलेक्टर जबलपुर ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 282/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को ग्राम धरहर प.ह.नं. 13/35 रा.नि.मं. पनागर में स्थित भूमि खसरा नं.02, 03, 08, 16, 27 रकवा क्रमांक 0.90, 1.30, 0.50, 0.49, 0.72 है0 कुल रकवा 3.910 है0 (9.66 एकड) भूमि के विक्रय की अनुमति दी जाती है।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर